

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग  
क्रमांक:प.8(ग)(46)नियम/डीएलबी/20/13234

दिनांक: 15/6/22

### आदेश

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 337 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत फिल्म/टीवी शोज/टीवी रियल्टी शोज/वेब सीरीज/डोक्यूमेंट्री आदि की शूटिंग के लिये नगरीय निकायो द्वारा लिये जाने वाले सभी प्रकार के शुल्को/फीस आदि से मुक्त किया जाता है।



(हृदेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक: 15/6/22

क्रमांक:प.8(ग)(46)नियम/डीएलबी/20/13235-779  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर समस्त राजस्थान।
6. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान।
7. आयुक्त/उपायुक्त/अधिशोषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान।
8. समस्त अधिकारी निदेशालय।
9. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग समस्त राजस्थान।
10. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
11. निदेशक/अधीक्षक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है।
12. सुरक्षित पत्रावली।



(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी